न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः– राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः–2/2022/225 आर.टी.एक्ट (2022/2)

1. अज्जा पुत्र पूरण सिंह
2. श्रवण सिंह पुत्र उगमा

   दोनों जाति रावत, निवासी लाडपुरा तहसील व जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. लक्ष्मण सिंह पुत्र गोपी जाति रावत, निवासी लाडपुरा तहसील व जिला अजमेर।
2. बज्जा पुत्र पूरण सिंह
3. भागचंद पुत्र पूरण सिंह

   दोनों जाति रावत, निवासी लाडपुरा तहसील व जिला अजमेर।
4. ग्रामीण सहकारी समिति भूडोल जरिए व्यवस्थापक।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, जिला अजमेर।

तरतीबी रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, उपखण्ड अधिकारी, कैम्प कोर्ट भूडोल जिला अजमेर विरूद्ध निर्णय दिनांक 03.12..2021 राजस्व वाद संख्या 13/2019.

उपस्थितः–

1. श्री शिवप्रकाश चौधरी, अभिभाषक अपीलांटस.
2. श्री तेजेन्द्र सिंह अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01.
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 05.
4. रेस्पोडेंट संख्या 2 से 4 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः– 27.06.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, कैम्प कोर्ट भूडोल जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 13/2019 में पारित आदेश दिनांक 03.12.2021 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष विरूद्ध अप्रार्थीगण प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नाम नोटिस जारी किए गए जिसमें अप्रार्थीगण द्वारा विस्तृत जवाब पेश कर निवेदन किया कि विपक्षी को

खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात पर जाने के लिए चारागाह भूमि खसरा संख्या 427 में से होकर रास्ता विद्यमान है एवं काफी अर्से से विपक्षी उपरोक्त चारागाह भूमि से ही अपने खेत पर जाकर काश्त कर रहा है एवं अप्रार्थीगण/अपीलांटस की आराजीयात खसरा नम्बर 122 रकबा 0.38 है0 भूमि अर्थात ढाई बीघा भूमि में से रास्ता प्रदान किया जाता है तो अपीलांटस के पास एक बीघा भूमि शेष बचती है। ऐसी स्थिति में विपक्षी जानबूझ कर सार्वजनिक निर्माण विभाग की भूमि से सीधे ही रास्ता लेना चाहता है जबकि विपक्षी के पास अपनी खातेदारी पर जाने के लिए चारागाह भूमि में से रास्ता विद्यमान है इसलिए विपक्षी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को निरस्त किया जावें। तत्पश्चात प्रकरण में मौका रिपोर्ट तलब की गई तत्पश्चात दिनांक 02.02.2021 को अप्रार्थी संख्या 01 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। दिनांक 02.03.2021 को अप्रार्थी संख्या 2 से 04 की ओर से जवाब तथा प्रार्थना पत्र आपत्ति मौका पर्चा पेश किया गया तथा दिनांक 02.12.2019 को मौका पर्चा तैयार किया गया। जिस पर अपीलांटस द्वारा एक प्रार्थना–पत्र आपत्ति बाबत मौका पर्चा दिनांक 17.12.2019 के बाबत दिनांक 2.3.2021 को ही प्रस्तुत किया गया तथा उपखण्ड अधिकारी, दिनांक 03.12.2021 को प्रकरण में आदेश पारित किये गये। अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, कैम्प कोर्ट भूडोल जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 13/2019 में पारित आदेश दिनांक 03.12.2021 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। रेस्पोडेंट संख्या 2 से 4 बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि लोक अदालत में सिर्फ उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जिसमें दोनों पक्षकार सहमत हों एवं कोई राजीनामा किया जा रहा हो इसके बावजूद भी उपखण्ड अधिकारी, अजमेर ने अपने में निहित क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर बिना अपीलांटस को सुनवाई का अवसर दिए बगैर अपीलांटस के विरूद्ध आदेश पारित किया गया तो निरस्त किए जाने योग्य है। प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के तहत अपीलांटस को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिया जाना न्यायिक रूप से अनिवार्य था इसके बावजूद भी उपखण्ड अधिकारी, अजमेर ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरूद्ध जाकर निर्णय पारित किया है वह अपील के माध्यम से निरस्त किए जाने योग्य है। उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण में दिनांक 16.11.2021 से दिनांक 11.1.2022 की तारीख पेशी नियत की हुई थी इसके बावजूद भी प्रकरण को बिना अपीलांटस को सूचित किए बगैर पत्रावली को दिनांक 3.12.2021 को नियत कर एकतरफा में जो निर्णय पारित किया है वह निरस्त किए जाने योग्य है। विपक्षी द्वारा राजस्व अधिकारियों से सांठ गांठ कर एक तरफा में मौका पर्चा दिनांक 17.12.2019 को मुर्तिब करवा लिया था जिसके विरूद्ध अपीलांटस द्वारा एक आपत्ति प्रार्थना पत्र दिनांक 2.3.2021 को प्रस्तुत कर दिया गया था, इसके बावजूद भी बिना आपत्ति प्रार्थना पत्र को निस्तारित किए तहसीलदार की एक तरफा मौका रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया गया जो निरस्त किए जाने योग्य है। राजस्व नक्शा अनुसार आराजी खसरा नम्बर 127 रकबा 1.7400 है0 किस्म गैर मुमकिन चारागाह भूमि मुख्य रोड से लगवा होकर विपक्षी की खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात खसरा संख्या 111,117 पर पहुंचा जा

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

सकता है, इसके बाबत अपीलांटस द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की हुई थी फिर भी बिना आपत्ति पर कोई फाइण्डिग दिए बगैर एक तरफा मौका पर्चा दिनांक 17.12.2019 के आधार पर अपीलांटस की खातेदारी की आराजीयात में से रास्ता प्रदान करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक त्रुटि कारित की गई है। दिनांक 3.12.2021 को विपक्षी लक्ष्मण सिंह स्वयं ने हाजिर होकर न्यायालय की फर्द अहकाम पर हस्ताक्षर कर दिए जबकि आज दिनांक को राजस्व रिकार्ड में आराजी खसरा नम्बर 111, 113 व 117, 1848/115 की भूमि के रिकार्डेड खातेदार राजेन्द्र सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह जाति रावत दर्ज है जो कि जमाबंदी सम्वत 2071 से 2074 से पूर्णतया स्पष्ट है इसके बावजूद भी लक्ष्मण सिंह ने हाजिर होकर होकर हस्ताक्षर कर एक तरफा में निर्णय पारित करवा लिया है जबकि आज दिनांक को उपरोक्त भूमि का रिकार्डेड खातेदार लक्ष्मण सिंह दर्ज ही नहीं है, इसलिए दिनांक 3.12.2021 को लक्ष्मण सिंह को फर्द अहकाम पर हस्ताक्षर कर उपस्थिति दर्ज करवाने का कोई अधिकार नहीं होने के बावजूद भी जो निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है वह अपने में निहित क्षेत्राधिकार से एवं भू–अभिलेख निरीक्षक एवं लैण्ड होल्डर मौके पर होने के बावजूद भी विपक्षी ने उपरोक्त तथ्यों को छुपाया जाकर निर्णय पारित करवाया गया है जो कि विपक्षी एवं राजस्व अधिकारियों की सांठ–गांठ जाहिर करता है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय नियमानुसार नहीं होने से अपील के माध्यम से निरस्त किए जाने योग्य है। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की प्रार्थना पत्र में उन्होंने आराजी खसरा नम्बर 111 एवं 117 के साथ ही आराज़ी खसरा नम्बर 118 की भूमि भी प्रार्थी की भूमि होना कथन अंकित किया है, जबकि आराजी खसरा नम्बर 118 की भूमि अपीलांट की भूमि है जो कि जमाबंदी सम्वत 2071 से 2074 से पूर्णतया स्पष्ट है इसके बावजूद भी इन कम्पटेंट प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने में अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक त्रुटि कारित की है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, कैम्प कोर्ट भूडोल जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 13/2019 में पारित आदेश दिनांक 03.12.2021 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01 ने दौराने जवाब/बहस अपील में कथन किया कि ग्राम लाड़पुरा पटवार क्षेत्र लाडपुरा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र भूडोल तहसील व जिला अजमेर की सरहद में कृषि भूमि खसरा नम्बर 111 रकबा 0.21 है0 113 रकबा 0.17 है0 117 रकबा 0.30 है0 भूमि स्थित है। जो ग्राम लाडपुरा की जमाबंदी सम्वत 2071 से 2074 के खाता संख्या नया 303 में अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। अप्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी भूमि के दक्षिण तरफ प्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा नम्बर 118 रकबा 0.18 है0 व 122 रकबा 0.38 है0 स्थित है। अप्रार्थी की खातेदारी भूमि में आने जाने का कोई कटाणी या गैर कटाणी मार्ग राजस्व नक्शे में नहीं है अप्रार्थी को अपनी खातेदारी की भूमि में आने जाने ट्रेक्टर से काश्त करने फसल चारा मवेशी लाने व ले जाने में भारी परेशानी रहती है। प्रार्थीगण की खातेदारी खसरा नम्बर 122 के दक्षिण में खसरा नम्बर 121 गैर मुमकिन सड़क है जो पूर्व से पश्चिम में गुजरते हुए खसरा नम्बर 131 गैर मुमकिन सड़क सार्वजनिक मार्ग में मिलती है जो सार्वजनिक मार्ग विद्यमान है। अप्रार्थी उक्त सार्वजनिक मार्ग से प्रार्थीगण के खेतों की सींव से आता जाता है

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

CamScanner

परंतु अप्रार्थी की खातेदारी के खेतों में आने जाने का कोई मार्ग राजस्व नक्शें में नहीं होने से अप्रार्थी को भारी परेशानी का सामना करना पडता है। अप्रार्थी के पास कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है इसलिए अप्रार्थी को खसरा नम्बर 122 पूर्वी मेड के सहारे सहारे गुजरता हुआ 20 फीट चौडाई का रास्ता सार्वजनिक मार्ग से अप्रार्थी की खातेदारी खेत खसरा नम्बर 117 की सीमा तक आवागमन के लिए रास्ते हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया तथा अप्रार्थीगण वर्तमान अपीलांटस को विधिवत् रूप से नोटिस जारी कर, उनका जवाब प्राप्त कर भू–अभिलेख निरीक्षक तथा पटवार हल्का द्वारा प्रस्तुत मौका पर्चा जिसमें प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट के खेत खसरा तक जाने हेतु रास्ता का अभाव होना अंकित है तथा प्रकरण में उभयपक्षों को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया है तथा प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट रास्ता हेतु न्यायालय द्वारा विधि अनुसार जो भी प्रतिकार राशि मुआवजा अदा करने का आदेश दिया जाएगा अप्रार्थी देने को तैयार है। अप्रार्थी व प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की जमाबंदी गैर मुमकिन सड़क की जमाबंदी व नक्शा ट्रेस तथा प्रस्तावित रास्ते हेतु मानचित्र प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी वर्तमान रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम लाडपुरा भू–अभिलेख क्षेत्र भूडोल की सरहद में स्थित प्रार्थी वर्तमान रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 111, 117, 113 की भूमि पर आवागमन हेतु मुख्य मार्ग गैर मुमकिन सडक से प्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा नम्बर 122 के पूर्वी सीमा के सहारे सहारे 20 फीट चौड़ा रास्ता दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष विरूद्ध अपीलांटस एवं शेष रेस्पोडेंटस प्रस्तुत कर निवेदन किया। प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नाम नोटिस जारी किए गए जिसमें अपीलांटस द्वारा विस्तृत जवाब पेश कर निवेदन किया गया। जिस पर अपीलांटस द्वारा एक प्रार्थना पत्र आपत्ति बाबत मौका पर्चा दिनांक 17.12.2019 के बाबत दिनांक 2.3.2021 को ही प्रस्तुत कर दिया था इसके पश्चात उपखण्ड अधिकारी, अजमेर ने प्रकरण में आगामी तारीख दिनांक 11.1.2022 नियत कर लोक अदालत में बिना अपीलांट/रेस्पोडेंट को उक्त प्रकरण की सूचना दिए बगैर दिनांक 3.12.2021 को लोक अदालत में बिना अपीलांटस/रेस्पोडेंट को सुनवाई का अवसर दिए अपीलांटस/रेस्पोडेटस की खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात में से रास्ता देने का आदेश दिनांक 3.12.2021 पारित कर दिया। हमारे द्वारा जब पत्रावली का अद्योपांत अवलोकन किया गया तो हम यह समझते हैं कि लोक अदालत में सिर्फ उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जिसमें दोनों पक्षकार सहमत हों एवं कोई राजीनामा किया जा रहा हो इसके बावजूद भी उपखण्ड अधिकारी, अजमेर ने बिना अपीलांटस को सुनवाई का अवसर दिए बगैर अपीलांटस के विरूद्ध आदेश पारित किया गया है जो कि प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के तहत अपीलांटस को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिया जाना न्यायिक रूप

राजस्व अपील अधिकारी
अजमेर

CamScanner

से अनिवार्य था इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरूद्ध जाकर निर्णय पारित किया है । उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण में दिनांक 16.11.2021 से दिनांक 11.1.2022 की तारीख पेशी नियत की हुई थी इसके बावजूद भी प्रकरण को बिना अपीलांटस को सूचित किए बगैर पत्रावली को दिनांक 3.12.2021 को नियत कर एकतरफा में जो निर्णय पारित किया हैं वह न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। मौका पर्चा दिनांक 17.12.2019 को मुर्तिब करवा लिया था जिसके विरूद्ध अपीलांटस द्वारा एक आपत्ति प्रार्थना पत्र दिनांक 2.3.2021 को प्रस्तुत कर दिया गया था, इसके बावजूद भी बिना आपत्ति प्रार्थना पत्र को निरतारित किए तहसीलदार की एक तरफा मौका रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय करते समय यह करना चाहिए था कि वह पहले अपीलांटस/रेस्पोडेंट को उक्त प्रकरण में नोटिस तामिल करवाते व उन्हें उक्त प्रकरण से संबंधित समुचित साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए निर्णय पारित करना चाहिए था जो कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया गया। अतः उपरोक्त वर्णन अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत प्रतीत नहीं होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अतः अपील आंशिक स्वीकर कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः प्रतिप्रेषित किया जाता है।

7. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, कैम्प कोर्ट भूडोल जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 13/2019 में पारित आदेश दिनांक 03.12.2021 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्ष की उपस्थित में मौका पर्चा तैयार कर उनसे आक्षेप आमत्रित कर आक्षेपों का निस्तारण कर उभयपक्ष को समुचित, साक्ष्य, सुनवाई एवं जवाब का समान अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण करें। प्रकरण के निस्तारण तक प्रस्ताविक रास्ता खसरा नम्बर 122 के मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद फरमाया जाता है। उभयपक्ष को पाबंद किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 15.07.2023 को उपस्थित रहें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 27.06.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर